न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/18)

निर्णय दिनांकः– 22-08-25

1. कैलाश पुत्र नारायण राम जाति राईका निवासी आबादी संसारदेसर चक 2 जीएसएम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. भादरराम पुत्र रेखा राम जाति राईका निवासी आबादी संसारदेसर चक 2 जीएसएम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मुन्नीराम पुत्र पुराराम जाति जाट साकिन 6 केडब्ल्यूएसएम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या 25/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/15)

निर्णय दिनांकः–

शर्मिला कंवर पत्नी श्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवंतपुरा चक 2 जीएसएम तहसील छतरगढ।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मुन्नीराम पुत्र पुराराम जाति जाट साकिन 6 केडब्ल्यूएसएम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21–12–2020
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ।

उपस्थितिः–
1. श्री रफीक शाह, अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 2021/18)
2. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 2021/15)
3. श्री मनीराम जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ के आदेश दिनांक 21–12–2020 जिसके द्वारा वादगत भूमि को बतौर स्माल पेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत दोनो अपीले एक ही आदेश दिनांक 21–12–2020 के विरूद्व है। दोनो अपीलो में वादग्रस्त भूमि एवं तथ्य एक समान होने से एक ही निर्णय दोनो अपीलों का निस्तारण करने का निश्चय किया है। निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में अलग से लगाई जाये।

3. विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 2021/18) ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 जीएसएम के मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 21, 22, 23 की 2.11 बीघा अनकमाण्ड भूमि जो रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 21–12–2020 को स्मॉल पेच में आवंटन कि है– की अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ही कार्यालय में पूर्व में उक्त भूमि के बाबत् चले प्रकरण व आबादी भूमि की जांच नहीं कि ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य हो सुनवाई का अवसर दिया गया है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है बहस करते हुए कथन किया की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

घेघडा की बारानी रोही में बसा हुआ है संसारदेसर की आबादी जो कि ग्राम घेघडा की खसरा नंबर 39 व 49 में लगभग 39 बीघा से भी अधिक गैर मुमकिन आबादी में फैली हुई है तथा ग्राम घेघडा इगानप आने के बाद चक बंदी में आ गया चकबंदी में आने से चक 2 जीएमएम के मुरब्बा नंबर 236/34 में 25 बीघा 236/42 के किला नंबर 1, 10, 11, 19 ता 23 कुल 6.19 बीघा व मुरब्बा नंबर 236/50 में 07 बीघा कुल 39 बीघा में आबादी बसी हुई है व मुरब्बा नंबर 236/50 के किला नंबर 8, 9, 12 में शमशान भूमि है व मुरब्बा नंबर 236/50 में ही कुण्ड जोड पायतन तथा मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 1 में कुआ बना हुआ है जो जागीर के समय का बना हुआ है। आगे उनका कथन है कि संसारदेसर के आबादी भूमि के खसरा नंबर 39 व 49 घेघडा की भूमि उपनिवेशन में आने के गैर मुमकिन आबादी भूमि को अराजीराज दर्ज कर दिया गया है जो कि सन 1971 में आबादी भूमि जो गैर मुमकीन थी अपीलांट व उनके परीजनों के नाम से पट्टे काट दिये गये तथा अपीलांट तथा उनके परीजन उक्त भूमि पर अपने अपने कच्चे मकान व बाडे बनाकर निवास करने लग गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि ग्राम संसारदेसर के चक 2 जीएसएम के मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 1, 10, 11, 19, 20 ता 23 की 6.19 बीघा आबादी भूमि को सहवन से अराजीराज दर्ज कि जिस पर मुरबा नंबर 236/42 की 17 बीघा के खातेदारान द्वारा अपीलांट के आवासीय भूखण्डों पर सन 2013 में चक 2 जीएसएम की अराजीराज भूमि आवंटन करवाने के बाबत् कार्यवाही कि तो अपीलांट ने श्रीमान् सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में अपने सिविल अधिकारों की सुरक्षा बाबत् वाद पेश किये ततपश्चात् राजीनामा में रेस्पोडेंट द्वारा वाद अपीलांट से विड्रों करवा लिया उक्त प्लॉटों की आबादी भूमि जो रिकॉर्ड अराजीराज दर्ज थी को आवंटन नहीं करने तथा गैर मुमकीन अराजी दर्ज करने का कहा जिस पर कार्यवाही कर दिनांक 14-03-2015 को गैर मुमकीन आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जिसमें मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 10, 11, 19, 20 कि 3.11 बीघा का रिकॉर्ड में गैर मुमकीन आबादी दर्ज कर दिया व किला नंबर 1 की 0.17 बीघा गैर मुमकीन कुंआ दर्ज की गई लेकिन मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 21 ता 23 की 2. 11 बीघा भूमि रिकॉर्ड में गैर मुमकीन आबादी दर्ज होने से रह गया जिसे

राजस्व अपील अधि[illegible]
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 को स्मॉल पेच आवंटन कर कानूनी गलती कि है इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने मियाद के संबंध में कथन किया कि अपील अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक से अंदर मियाद प्रस्तुत कि गई है जिसके समर्थन में मियाद संबंधी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र में समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 2021/15) ने अपील बहस में कथन किया की अपीलाधीन भूमि चक 2 जीएसएम के मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 21, 22, 23 की 2.11 बीघा भूमि अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु दिनांक 17–12–2020 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्मॉल पेच आवंटन हेतु निर्धारित नियमों की पालना ना करते हुए आनन फानन में रेस्पोडेंट नंबर 01 को दिनांक 21–12–2020 को आवंटन करने का आदेश पारीत कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के करण निरस्त योग्य है। उनका आगे कथन है कि स्मॉल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन नियम के अर्न्तगत समस्त काश्तकारों को आवंटन की सूचना दिये जाना आवश्यक है जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं कि है। आपीलांट का मुरब्बा नंबर 236/43 की 25 बीघा भूमि की खातेदार काश्तकार है जो कि आवंटनशुदा भूमि के एकदम चपती/समकक्ष हुई है और आवंटन अधिकारी स्वयं ने अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के स्मॉल पेच आवंटन हेतु सक्षम माना लेकिन बिना नोटिस दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त योग्य है। स्मॉल पेच आवंटन नियमों के तहत 1 से अधिक आवेदन होन के तहत् उच्चतम बोली लगाने वाले को आवंटन किया जाता है यदि अपीलांट को सूचित किया जाता तो अपीलांट भी आवंटन की पात्र होने के कारण आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती तो उच्चतम बोली लगाने वाले को ही आवंटन होता जो नही हुआ जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हुआ है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने मियाद के संबंध में कथन किया कि अपील अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक से अंदर मियाद प्रस्तुत कि गई है जिसके समर्थन में मियाद संबंधी प्रार्थना

राजस्व अपील अधिक.
बीकानेर

पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र में समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस व अपीलांट की बहस का जवाब करते हुए कथन किया कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 49 से जो रकबा बना उसमें आवंटित किले शामिल नहीं है। उन्होने आगे कथन किया कि किला नंबर 1, 10, 11, 19, 20 में आबादी के किले थे इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी के आदेश की प्रति प्रस्तुत है। आवंटित भूमि शुद्ध रूप से अराजी राज है अपीलांट्स की कोई लोकसस्टेन्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा आदेश होने से मियांद अधिनियम बाधक नहीं है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील मियांद बाहर पेश होने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–20 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 28–01–2021 व 14–01–2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु मियांद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। विधि का भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेसस्कर है। उक्त विधि के सिद्धान्त तथा अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपील अपीलांट अंदर मियांद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधि.
बीकानेर

5 | 19900| 20200| 20500| 21600| 23400| 24200| 25200| 29000|

8. प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि चक 2 जीएसएम के मुरब्बा नंबर 236/42 के किला नंबर 21 ता 23 की 2.11 बीघा भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपीलें न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा किया गया आवंटन आवंटन नियमो के अनुरूप है अथवा नही।

स्मॉल पेच में भूमि आवंटन के लिए आवश्यक है कि–

1. सर्वप्रथम आवंटन योग्य अनधिवासित शुद्ध रकबा राज भूमि उपलब्ध हो।
2. आवंटी इस आवंटन योग्य रकबा के टेन्योर टिनेन्ट हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य तो निर्विवाद है कि अपीलांट और रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आराजी के टेन्योर टिनेन्ट है परन्तु अपील का मुख्य आधार यह है कि स्मॉल पेच हेतु आवंटन योग्य अनधिवासित शुद्ध रकबा राज भूमि उपलब्ध ही नही थी। अपीलाधीन आदेश द्वारा आवंटित भूमि पर मौके पर आबादी बसी हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध उपतहसीलदार की मौका रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि अपीलाधीन भूमि चक 2 जीएसएम के मुरब्बा नम्बर 236/42 के किला नम्बर 21 ता 23 में मौके पर पुरानी आबादी के अवशेष है तथा खण्डहर मकान मौजूद है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत संसारदेसर के प्रस्ताव दिनांक 5–6–2017, बैठक कार्यवाही विवरण, ग्राम पंचायत 1 केएम का प्रस्ताव दिनांक 05–01–2022, पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं विभिन्न पट्टों की छाया प्रतियों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन अराजी अनधिवासित भूमि नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन के समय यह जांच करनी चाहिए थी कि जिस भूमि का आवंटन किया जा रहा है वह अनधिवासित शुद्ध रकबा राज अराजी है अथवा नहीं। उसके पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलाधीन भूमि रेस्पोडेंट को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित कर दी गई। इस सूरत में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रैणी में नहीं आता है।

9. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलें अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2020 निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी छतरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रिकॉर्ड व मौका की जांच करतें हुए तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर प्रदान करतें हुए नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-08-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर